>

Title: Need to make regular payment of salary to the employees working in the Institute of Correspondence Courses and Continuing Education under Allahabad University in Uttar Pradesh.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही)ः मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सतत् शिक्षा संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 44 के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न अंग के रूप में 1976 में हुई।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में वर्णित सुस्पष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान को विकसित, व्यवस्थित एवं नियंत्रित संचालन हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया और न ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संस्थानों के मौलिक रूप में पुनर्स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया।

पत्राचार संस्थान के प्रति विश्वविद्यालय के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण संस्थान का वित्तीय कोष इतना जर्जर हो गया कि संस्थानकर्मी विगत चार वर्षों से नियमित वेतन प्राप्त करने हेतु संघर्षरत हैं तथा विगत 6 माह से वेतन विहीन कर्मचारी विगत 3 सप्ताह से अनवरत लोकतांत्रित तरीके से आन्दोलनरत हैं।

अतः आग्रह है कि उपर्युक्त तथ्यों को अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मियों के हित में समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।